न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/166/2024 रजू दिनांकः 05.12.2024 रजि0 न0 2024/279

अपीलार्थीः–

श्री अजीत पुत्र अमरू राम, निवासी देवखेडा वार्ड नं0 40 देहली रोड़ अलवर, जिला अलवर–301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2369 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलय प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 19.10..2024 एवं 24.10.2024 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किये गये विनिश्चय पत्रांक 2089 दिनांक 05.11.2024 पर आक्षेप व्यक्त कर (गलत सूचना) सूचना चाही गई है। उक्त के संबंध में लोक प्राधिकरण उनके क्षेत्राधीन उपलब्ध अभिलेख से सूचना/रिकॉर्ड की प्रति जारी किए जाने हेतु अधिकृत है, सही/गलत का निर्णय लोक सूचना अधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर है, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 एवं परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के आलोक में, साथ ही अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुकम में तत्समय तक संधारित सूचना से उक्तानुसार संसूचित किया जा चुका है, अन्य आगामी अपेक्षित जानकारी संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 19.10.2024 एवं 24.10.2024 के परिप्रेक्ष्य में एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 एवं परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के आलोक में, साथ ही अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुकम में तत्समय तक संधारित सूचना से उक्तानुसार संसूचित किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में प्रतिलिपि कमांक 2370 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)